अनुदान संख्या 89 – वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 89–MINISTRY OF TEXTILES

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1221,11,00		1221,19,00	1056,50,14	–164,68,86
पूरक	Supplementary	8,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					119,28,07
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*70,00*	*50,00*	*–20,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–			488,74,00	444,74,59	-43,99,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					37,76,47

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	6820.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–6820.00				
मुख्य शीर्ष "2851'' ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries					
मू.	O.	39640.00				
पू.	S.	4.00		38486.67	35375.77	–3110.90
पु.	R.	–1157.33				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	59687.00			
पू.	S.	4.00	58232.32	57624.73	–607.59
पु.	R.	–1458.68			
मुख्य शीर्ष "3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	825.00	692.94	615.63	–77.31
पु.	R.	–132.06			
मुख्य शीर्ष "3453'' विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	200.00	100.00	61.41	–38.59
पु.	R.	–100.00			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	14894.00	12574.00	11872.60	–701.40
पु.	R.	–2320.00			
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	45.00	105.00	100.00	–5.00
पु.	R.	60.00			

(I) 7625.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7320.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 6820.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" - "उपभोक्ता उद्योग - आरक्षित निधि जमा लेखे को अंतरण - जूट विशेष विकास निधि"- 500.00 लाख रु. स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - वस्त्र मंत्रालय"- 157.89 लाख रु. की बचत (725.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और योजनेतर व्यय में किफायती उपाय अपनाए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "हथकरघा उद्योग"-

(क) "बुनकर सेवा केन्द्र"- 258.42 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, योजनेतर व्यय में किफायती उपाय अपनाए जाने और व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "डिजाइन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम"- 2557.54 लाख रु. की बचत (3567.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कम आवश्यकता होने और हस्तशिल्प क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं/स्कीमों को अंतरित किए जाने और दिसंबर, 2003 में स्कीम को अनुमोदित किए जाने के कारण हुई।

(ग) "वस्त्रों और वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने के कारण केनवैट की राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को प्रतिपूर्ति"-

(I) Provision of Rs.7625.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.7320.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"- " Other Expenditure-Provision for Projects/Schemes for the benefit of the North Eastern States including Sikkim"- Rs.6820.00 lakhs - due to re-appropriation of funds for meeting expenditure on Projects/ Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from concerned functional heads.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries-Transfer to Reserve Fund Deposit Account - Jute Special Development Fund"- Rs.500.00 lakhs- due to non-finalisation of projects under the scheme.

(II) Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Textiles" - saving of Rs.157.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.725.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures in non-plan expenditure.

(III) Under Major Head "2851"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Handloom Industries"-

(a) "Weavers Service Centre"- saving of Rs.258.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to non –filling up of vacant posts, economy measures in non-plan expenditure and non-receipt of viable proposals.

(b) "Design Development and Training Programme"- saving of Rs.2557.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3567.00 lakhs) was due to less requirement by the implementing agencies and transfer of some projects/schemes under the scheme to Handicrafts Sector and approval of the scheme in December, 2003.

(c) "Reimbursement of CENVAT on account of imposition of excise duty and additional excise duty on Textiles and Textiles articles to National Handloom Development Corporation"- saving of Rs.181.97 lakhs

181.97 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से कार्यान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप आंशिक व्यय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''हस्तशिल्प उद्योग''-

(क) ''प्रशिक्षण और विस्तार''- 597.26 लाख रु. की बचत (2390.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों/सामान्य सुविधा केन्द्रों को बंद किए जाने, स्वीकृत प्रस्तावों के लेखापरीक्षित लेखे प्राप्त न होने तथा योजनेतर व्यय में किफायती उपाय अपनाए जाने के कारण हुई।

(ख) ''डिजाइन और तकनीकी उन्नयन''- 525.11 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2003 में प्राप्त किए गए 0.16 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3000.16 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और जम्मू व कश्मीर क्षेत्र में कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ग) ''बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प योजना''- 198.97 लाख रु. की बचत (दिसंबर, 2003 में प्राप्त किए गए 0.16 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1750.16 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित अभिकरणों से प्रस्ताव समय पर प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) ''अनुसंधान और विकास''- 133.32 लाख रु. की बचत (290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राशि जारी करने के लिए निर्धारित कड़े मानदंडों की वजह से कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग होने के कारण हुई।

(ङ) ''जम्मू व कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज''- 2185.91 लाख रु. की बचत (3155.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''पावरलूम उद्योग - पावरलूमों के लिए तकनीकी सेवा केन्द्र'' - 158.77 लाख रु. की बचत (992.00 लाख रु.

(against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to late implementation of the scheme resulting in partial expenditure.

(B) "Handicraft Industries"-

(a) "Training and Extension"- saving of Rs.597.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2390.00 lakhs) was due to closure of Departmental Training Centres/ Common Facility Centres, non-receipt of Audited accounts of sanctioned proposals and economy measures in non-plan expenditure.

(b) "Design and Technical Upgradation" - saving of Rs.525.11 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3000.16 lakhs including supplementary grant of Rs.0.16 lakh obtained in December, 2003) was due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies and slow progress in implementation in Jammu & Kashmir region.

(c) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana" - saving of Rs.198.97 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1750.16 lakhs including supplementary grant of Rs.0.16 lakh obtained in December, 2003) was due to non-receipt of proposals from the concerned agencies in time.

(d) "Research and Development" - saving of Rs.133.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.290.00 lakhs) was due to less demand from the implementing agencies owing to strict norms for releasing the amount.

(e) "Integrated Development Package for Jammu and Kashmir" - saving of Rs.2185.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3155.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from the implementing agencies.

(C) "Powerloom Industries - Technical Service Centres for Powerlooms"- saving of Rs.158.77

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुनःस्थापित पावरलूम सेवा केन्द्रों में स्टाफ की कम तैनाती किए जाने और कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग होने के कारण हुई।

(घा) "अन्य व्यय - ऊन विकास बोर्ड"- 315.80 लाख रु. की बचत (1380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू व कश्मीर पैकेज के अंतर्गत ऊन विकास बोर्ड को अनुदान देने के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" - "उपभोक्ता उद्योग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "वस्त्र"-

(क) "वस्त्र आयुक्त"- 144.52 लाख रु. की बचत (1063.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वस्त्र आयुक्त कार्यालय की पुनर्संरचना किए जाने तथा भू-स्वामी के साथ किराए के संबंध में करार को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) "वस्त्र श्रमिक पुनर्वास स्कीम"- 1374.00 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रत्याशा से कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने तथा राहत के केवल तीन वर्ष के लिए कम होते रहने के आधार पर उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ग) "वस्त्र आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन"- 102.63 लाख रु. की बचत (25000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग होने के कारण हुई।

(घ) "समर्थन मूल्य के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति"- 286.97 लाख रु. की बचत (3400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कीमतों के निर्धारित सीमा से नीचे चले जाने पर सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की वजह से कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ङ) "परिधान निर्यात वस्त्र पार्क के लिए स्कीम"- 1236.43 लाख रु. की बचत (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

lakhs (against the sanctioned provision of Rs.992.00 lakhs) was due to posting of less staff in relocated Powerloom Service Centres and less demand from the implementing agencies.

(D) "Other Expenditure - Wool Development Board"- saving of Rs.315.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1380.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals for giving grants to Wool Development Board under J & K package.

(IV) Under Major Head "2852" - "Consumer Industries"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Textiles"-

(a) "Textile Commissioner"- saving of Rs.144.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1063.00 lakhs) was due to restructuring of Textile Commissioner Office and delay in finalisation of rent agreement with the landlord.

(b) "Textile Labour Rehabilitation Scheme"- saving of Rs.1374.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to less number of applications received from State Governments than anticipated and the relief was available on tapering basis for three years only.

(c) "Textile Modernisation and Technical Upgradation"- saving of Rs.102.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25000.00 lakhs) was due to less demand from the implementing agencies.

(d) "Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under price support"- saving of Rs.286.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3400.00 lakhs) was due to less requirement owing to Government intervention when the prices went below the prescribed limits.

(e) "Scheme for Apparel Export Textiles Parks"- saving of Rs.1236.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs); and

(च) "वस्त्र उत्पादन केन्द्र का आधारभूत उन्नयन''- 1107.47 लाख रु. की बचत (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विभिन्न राज्यों/कार्यान्वयन अभिकरणों से कम संख्या में प्रतिपूर्ति बिल/दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "आरक्षित निधि जमा लेखे को अंतरण- औद्योगिक - विकास निधि को अंतरण - जूट विशेष विकास निधि''- 207.38 लाख रु. की बचत (271.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न स्तरों पर चालू परियोजनाओं के लगभग पूरा होने के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3453'' - "अन्य व्यय - निर्यात संवर्धन के लिए अध्ययन'' के अंतर्गत 138.59 लाख रु की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियां जारी करने के लिए कड़े मार्गदर्शी सिद्धांतों की वजह से प्रभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "योजनेतर अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग - वस्त्र और वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने के कारण केनवैट की प्रतिपूर्ति''- 4826.16 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों की पहचान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - पावरलूम उद्योग - कामगारों का कल्याण''- 421.23 लाख रु. की बचत (424.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम के आशोधन के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(VII) छः शीर्षों के अंतर्गत 427.07 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00

(f) "Upgrading Infrastructure of Textiles Growth Center"-saving of Rs.1107.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less number of reimbursement bills/claims from different States/implementing agencies.

(B) "Transfer to Reserve Fund Deposit Account - Transfer to Industrial Development Fund- Jute Special Development Fund"-saving of Rs.207.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.271.00 lakhs) was due to near completion of the ongoing projects at various level resulting in less demands from the implementing agencies.

(V) Under Major Head "3453"- "Other Expenditure - Studies for Export Promotion"-saving of Rs.138.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from the divisions/ implementing agencies owing to strict guidelines for releasing the funds.

(VI) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Non Plan Grants- Village and Small Industries- Handloom Industries- Reimbursement of CENVAT on account of imposition of excise duty and additional excise duty on Textiles and Textiles articles" - saving of Rs.4826.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-identification of the implementing agencies by various State Governments.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes- Village and Small Industries- Powerloom Industries- Welfare of Workers"-saving of Rs.421.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.424.00 lakhs) was due to modification of the scheme by Expenditure Finance Committee resulting in release of less funds to State Governments.

(VII) Under six heads savings of Rs.427.07 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and

लाख रु. से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (6182.72 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त, 2003, दिसंबर, 2003 और फरवरी, 2004 में 8.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध- II द्वारा निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष "2851"-

(क) "हथकरघा उद्योग"-

(i) "मिल गेट कीमत स्कीम"- 399.50 लाख रु.।

(ii) "बुनकर बीमा योजना"- 149.00 लाख रु.।

(ख) "रेशम उत्पादन उद्योग - केन्द्रीय सिल्क बोर्ड"- 2250.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2249.83 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" - "उपभोक्ता उद्योग"-

(क) "वस्त्र"-

(i) "अनुसंधान और विकास के लिए सहायता"- 901.20 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 888.94 लाख रु. था।

(ii) "ईएमडी/बीजी को जब्त की गई राशि के अंतर्गत एईपीसी को सहायता"- 1799.50 लाख रु.।

(ख) "अन्य -जूट" - 623.52 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 440.62 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग - दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना"- 60.00 लाख रु.।

(II) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2851"-

constituting 11 percent to 51 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.6182.72 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.8.00 lakhs in August, 2003, December, 2003, and February, 2004 and vide Annexure-II to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2851"-

(a) "Handloom Industries"-

(i) "Mill Gate Price Scheme"- Rs.399.50 lakhs.

(ii) "Bunkar Bima Yojana" - Rs.149.00 lakhs.

(b) "Sericulture Industries- Central Silk Board"- Rs.2250.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2249.83 lakhs.

(B) Major Head "2852" "Consumer Industries"-

(a) "Textiles"-

(i) "Assistance for Research and Development" - Rs.901.20 lakhs. Actual excess, however, was Rs.888.94 lakhs.

(ii) "Assistance to AEPC against forefeited amount to EMD/BG" - Rs.1799.50 lakhs.

(b) "Others - Jute" - Rs.623.52 lakhs. Actual excess, however, was Rs.440.62 lakhs.

(C) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Scheme - Village and Small Industries - Handloom Industries - Deen Dayal Hathkargha Protsahan Yojana" - Rs.60.00 lakhs.

(II) The above savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2851"-

(क) "हथकरघा उद्योग - विपणन संवर्धन कार्यक्रम''- 190.99 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2003 में प्राप्त किए गए 0.17 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 600.17 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए मुख्य शीर्ष "2552'' से निधियों का पुनर्विनियोजन किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "हस्तशिल्प उद्योग - विपणन सहायता तथा सेवाएं''- 386.08 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2003 में प्राप्त किए गए 0.18 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 750.18 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी हाटों और प्रचार सहित अन्य विपणन संबंधी आयोजनों के लिए प्रतिबद्ध व्यय के समाशोधन और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए मुख्य शीर्ष "2552'' से निधियों का पुनर्विनियोजन किए जाने के कारण भी हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601''-

(क) "योजनेतर अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग - हथकरघा कपड़े के विक्रय पर विशेष छूट/एमडीए''- 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंध्र प्रदेश तथा गुजरात सरकार के लंबित दावों का समाशोधन किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम और लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग''-

(i) "वर्कशेड एवं आवास स्कीम के लिए अनुदान''- 797.09 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पहले से स्वीकृत परियोजनाओं पर तथा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए नए प्रस्तावों के लिए प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए मुख्य शीर्ष "2552''

(a) "Handloom Industries - Marketing Promotion Programme"- excess of Rs.190.99 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.600.17 lakhs including supplementary grant of Rs.0.17 lakh obtained in December, 2003) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Handicraft Industries- Marketing Support and Services"- excess of Rs.386.08 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.750.18 lakhs including supplementary grant of Rs.0.18 lakh obtained in December, 2003) was due to clearance of committed expenditure towards Urban Haats and other marketing events including publicity and also on account of re-appropriation of funds from Major Head "2552" for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" –

(a) "Non Plan Grants - Village and Small Industries - Handloom Industries - Special Rebate/ MDA on sale of Handloom Cloth" - excess of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to clearance of pending claims of the Government of Andhra Pradesh and Gujarat.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes- Village and Small Industries-Handloom Industries"-

(i) "Grants for Workshed-cum-Housing Scheme"- excess of Rs.797.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to meeting committed liability on the earlier sanctioned projects and for new proposals submitted for sanction and also on account of re-appropriation of funds from Major Head "2552" for meeting expenditure on

से निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण भी हुआ।

(ii) "दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना''- 1023.80 लाख रु. का अधिक व्यय (5250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए मुख्य शीर्ष "2552'' से निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *20.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "7601'' - *"राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम''* के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Deen Dayal Hathkargha Protsahan Yojana" - excess of Rs.1023.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5250.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim. .

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *Rs.20.00 lakhs* remained wholly unutilised under Major Head "7601" - *"Loans and Advances to State Governments"*.

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4851'' ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	1614.00	1237.56	727.32	–510.24
पु.	R.	–376.44			
मुख्य शीर्ष "4860'' उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4860" Capital Outlay on Consumer Industries				
मू.	O.	2725.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2725.00			
मुख्य शीर्ष "6860'' उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	44535.00	43859.97	43747.27	–112.70
पु.	R.	–675.03			

(I) 6678.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6575.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4851"-

(क) "हस्तशिल्प उद्योग - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें"- 310.00 लाख रु. प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राज्य हस्तशिल्प निगम/हस्तशिल्प शीर्ष सहकारी समितियां"- 240.00 लाख रु. प्रशासनिक कारणों की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में निवेश से संबंधित प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "4860" - "वस्त्र - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995, 1995 की संख्या 39 की शर्तों के अनुसार अदायगी"- 2725.00 लाख रु. लोक जमा लेखे और लेखा प्रक्रिया को अनुमोदित न किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "6860" - "वस्त्र - अन्य कर्जे - बंद हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवांत लाभों के निर्धारण के लिए कर्ज दिए जाने संबंधी एकमुश्त प्रावधान"- 3300.00 लाख रु. सेवांत लाभों के निर्धारण के लिए अलाभकारी मिलों को एकमुश्त प्रावधान अंतरित किए जाने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके कर्मचारियों की ओर से कम दावे प्राप्त होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4851" - "हथकरघा उद्योग - डिजाइन विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम" के अंतर्गत 145.74 लाख रु. की बचत (261.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य की बहुत धीमी गति होने तथा पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 87.94 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "6860" - "वस्त्र - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - राष्ट्रीय

(I) Provision of Rs.6678.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.6575.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4851"-

(a) "Handicraft Industries - Projects/Schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim" - Rs.310.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(b) "Investment in Public Sector and Other Undertakings - State Handicraft Corporation/Handicrafts Apex Co-operative Societies" - Rs.240.00 lakhs - due to non-approval of the proposals for investment in Public Sector Undertakings/ Corporations owing to administrative reasons.

(B) Major Head "4860"-"Textiles - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Payment in Terms of Textiles Undertakings (Nationalisations) Act 1995 No.39 of 1995"- Rs.2725.00 lakhs –due to non-approval of Public Deposit Account and accounting procedure.

(C) Major Head "6860"- "Textiles- Other Loans- Lumpsum provision for the Loans to the closed Central Public Sector Undertakings towards settling terminal benefits"- Rs.3300.00 lakhs-due to transfer of lumpsum provision to sick mills for settlement of terminal benefits and less receipt of claims by the Public Sector Undertakings from their employees.

(II) Under Major Head "4851"- "Handloom Industries- Design Development and Training Programme"- saving of Rs.145.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.261.00 lakhs) was due to very slow construction activity by Central Public Works Department and non-receipt of complete proposals.

(III) Under one head saving of Rs.87.94 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "6860"- "Textiles -

वस्त्र निगम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 2470.00 लाख रु. का अधिक व्यय (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कामगारों को जनवरी तथा फरवरी, 2004 माह के लिए वेतन तथा मजदूरी की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

Loans to Public Sector and Other Undertakings-National Textile Corporation"- excess of Rs.2470.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) was due to payment of salary and wages to the workers of the National Textile Corporation for the month of January and February, 2004.